वाद दायर किया गया था। संबंधित सम्पत्ति स्त्रीधन सम्पत्ति है जो हुरिया देवी की है एवं आवेदक ममेरा परपोता है। ऐसी स्थिति में आवेदक का उक्त आदेश के विरूद्ध में चुनौती आवेदन दाखिल करने की अधिकारिता (Locus standi) नहीं बनता है। उन्होंने यह भी कहा है कि आवेदक द्वारा मुआवजा निर्धारण के विरूद्ध में चुनौती नहीं दी गई है बल्कि निम्न न्यायालय द्वारा कम मुआवजा निर्धारण के विरूद्ध में किया गया है। इस प्रकार उनके आवेदन अस्पष्ट (Vaque) है जो अस्वीकृत करने योग्य है। अतः इसे अस्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता अशोक कुमार पाठक (विपक्षी सं0 03) द्वारा विपक्षियों को प्रश्नगत दाग सं0 284 रकवा 00–06–01 धूर एवं 285 में 00–14–10 धूर जमींन से उच्छेदित हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें उभय पक्ष आपस में सुलहनामा कर उक्त जमींन का मुआवजा 10,000/– रूपये प्रति कठ्ठा की दर से 2,05,50/– रूपये निर्धारित किया गया। उक्त राशि को आवेदक के पिता द्वारा प्राप्त किया गया है।

अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमींन विपक्षी सं0 02 मनोज कुमार लायक के ससुर दिलीप दत्ता पे0 त्रिभंग दत्ता को जमाबन्दी रैयत गुहिराम खॉ, आशाराम खॉ एवं ताराराम खॉ से कुरफा बन्दोबस्ती 15 फाल्गुन 1342 बंगला यानी वर्ष 1935 में मिला है तथा तब से इस पर दिलीप दत्ता मोटर गैरेज का निर्माण कर दखल कर रहा है। तत्पश्चात विपक्षी दखलकार है उनके नाम से अलग जमाबन्दी सं0 13/क अंकित कर वर्ष 2015–16 तक का लगान रसीद निर्गत है। इसप्रकार उनका दखल उक्त जमींन पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से 12 वर्ष पूर्व से है। बी.बी.जे.सी. नं0 1885 पृष्ठ सं0 12–30 में प्रकाशित सी. डब्लू.जे.सी. नं0 1309/1976 में पारित आदेश के अनुसार सं0प0 काश्तकारी अधिनियम 1949 के लागू होने के 12 वर्ष से दखलकार है। Adverse Possession के आधार पर उच्छेदित नहीं किया जा सकता है। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को प्राप्त कुरफा बन्दोबस्ती के संबंध में विचार नहीं किया गया सिर्फ मुआवजा निर्धारित किया गया। बहरहाल प्रश्नगत जमींन पर विपक्षी का कुरफानामा के आधार पर दावा बनता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत जमींन से विपक्षी को उच्छेदित किया जाना या मुआवजा का पुर्ननिर्धारण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0पी0 सं0– 01/2016–17

सुजीत पाठक ..... आवेदक

बनाम

शंकर मल्लाह एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/07/2016 यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0– 01/2016–17 सुजीत पाठक, पे0 अशोक पाठक, मोहल्ला गिलानपाड़ा, गोशाला रोड, दुमका के आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है जिसमें आवेदक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर.ई. वाद सं0 12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा नया दुमका के जमाबन्दी सं0 13 गत सर्वे खतियान में गुहिराम खॉ, ताराराम खॉ एवं आशाराम खॉ के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबन्दी रैयत गुहिराम खॉ के ममेरा परपोता है। आवेदक के पिता विपक्षी सं0 03 अशोक पाठक द्वारा उक्त जमाबन्दी के दाग सं0 284 में रकवा 00–06–01 धूर एवं दाग सं0 285 में रकवा 00–14–10 धूर जमींन से विपक्षी सं0 01 एवं 02 को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आर.ई. वाद सं0 12/2013–14 दायर किया गया। उक्त वाद में निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षियों को उच्छेदित नहीं किया गया बल्कि आपसी सुलहनामा कर उक्त जमींन का मुआवजा निर्धारित किया गया जो सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 के विरूद्ध है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त जमींन का मुआवजा बाजार दर से काफी कम निर्धारित किया गया है। बहस के दौरान उनके अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम में जमींन हस्तान्तरण स्वीकारणीय नहीं है तथा मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है सिर्फ सरकार द्वारा ही जमींन की अधिग्रहण की जा सकती है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही नहीं है। अतः इसे विलोपित किया जाय।

विपक्षी के अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान एवं दाखिल लिखित बहस में कहा गया है कि आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध में न तो अपील दायर किया है और न तो रिविजन वाद ही दायर किया गया है, बल्कि अलग से यह रे0मि0 पिटिशन वाद दायर किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में जमाबन्दी रैयत के ममेरा परपोता होने का उल्लेख किया गया है किन्तु उनके पिता वर्त्तमान में जीवित है एवं निम्न न्यायालय में उनके द्वारा ही उच्छेदित